

समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला विकास शाखा)

पत्रांक...../जि0वि0, दिनांक.....

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
ह0 खड़गपुर।

विषय:-

गैर योजना बजट शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास -0001 प्रखंड स्थापना विपत्र कोड-एन.2515001020001 एवं मांग संख्या 42 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2011-12 में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि 138170 (एक लाख अड़तीस हजार एक सौ सत्तर) रूपये का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सरकार के संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-98890(आवं)/ग्रा0वि0,पटना दिनांक-29.03.12 के द्वारा वित्तीय वर्ष-2011-12 में व्यय हेतु कुल मो0-138170 (एक लाख अड़तीस हजार एक सौ सत्तर) रूपये मात्र का आवंटन प्रखंड विकास पदाधिकारी हवेली खड़गपुर के अधियाचना के आलोक में सेवा निवृत्त संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी के पारिश्रमिक भुगतान हेतु प्राप्त हुआ है। वित्त विभाग के पत्रांक 405 दिनांक 28.03.12 द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 में तृतीय अनुपूरक आगणन द्वारा उपबंधित कुल राशि मो0-138170 (एक लाख अड़तीस हजार एक सौ सत्तर)रूपये को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई है।

अतः वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र के आलोक में तथा वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.2008 एवं 2450 वि0 (2) दिनांक-17.04.99 के निदेशानुसार विषयांकित वजट शीर्ष 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001 प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड एन0 2515001020001) एवं मांग संख्या-42 के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2011-12 के लिए उपबंधित राशि (तृतीय अनुपूरक आगणन 2011-12 के मांग संख्या 42 खंड-3, भाग-1 D/3/2011 से प्राप्त मो0-138170 (एक लाख अड़तीस हजार एक सौ सत्तर) रूपये मात्र का आवंटन संलग्न विवरणी के अनुसार उपावंटित किया जात है।

2:-उपावंटित राशि का व्यय गैर योजना बजट शीर्ष 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 102-सामुदायिक विकास प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड एन. 2515001020001) एवं मांग संख्या-42 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए तृतीय अनुपूरक आगणन द्वारा 28-01व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं विषय शीर्ष (ईकाई) में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3:- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 2450 वि. (2) दिनांक 17.04.99 के आलोक में उपावंटित किया जात है।

4:- उपावंटित राशि का व्यय केवल संविदा के आधार पर नियोजित सेवा निवृत्त कर्मी के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु भी 2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं विषय शीर्ष के अन्तर्गत ही किया जाय।

- 5:- तृतीय अनुपूरक से इस उपावंटित राशि को अविलम्ब नियमानुसार निकासी करने की कार्रवाई की जाय ताकि राशि प्रत्यार्पित नहीं की जा सके।
- 6:- उपावंटित राशि से अधिक या गलत निकासी की सारी जबाव देही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। उपावंटित राशि से किसी अवैध रूप से नियुक्त कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य भत्ते या मजदूरी का भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।
- 7:- इस शीर्ष का व्यय विवरणी टी0भी0नं0 एवं तिथि सहित प्रत्येक अगले माह के 10 वी तारीख तक अनिवार्य रूप से महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा एवं विभागीय बजट शाखा -10 को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने हेतु जिले को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8:- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि कोषागार में उपस्थापित किये जाने वाले विपत्रों पर विपत्र कोड एन. 2515001020001/मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/प्राथमिक इकाई एवं कूट संख्या की मोहर अवश्य लगाई जाय
इसे अत्यावश्यक समझें।
अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

६१-

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक.....75...../विकास, दिनांक.....29/03/12...../
प्रतिलिपि- अनुलग्नक की प्रति सहित कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, ह0 खड़गपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/03/12
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

विवरणी-1

3

सेवा निवृत्त संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु आवंटित राशि।

क्र०	प्रखंड का नाम	प्रखंड द्वारा अधियाचित राशि	उपावंटित राशि
1	2	3	4
1	हवेली खड़गपुर	138170/-	138170/-

(एक लाख अड़तीस हजार एक सौ सत्तर रुपये)

3/29/03/12
जिला प्रदाधिकारी,
मुंरोर।

ई-मेल

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक: 405 दिनांक 28.03.12

संबंधित - 6/बजट- 25/2011

प्रेषक,

मदन जी पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त,

नालंदा, भोजपुर, जहानाबाद, नवादा, सारण, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, बक्सर एवं मुंगेर ।

विषय:-

गैर योजना बजट शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001 प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड- एन.2515001020001) एवं मांग संख्या- 42 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि 36,67,000/- (छत्तीस लाख सड़सठ हजार) रुपये का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विधान मंडल ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए बिहार विनियोग अधिनियम 2012 (बिहार अधिनियम 4, 2012) पारित होने पर महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27.03.12 को इस विधेयक पर सहमति प्रदान कर देने के फलस्वरूप वित्त विभाग के पत्रांक 405 दिनांक 28.03.12 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के तृतीय अनुपूरक आगणन द्वारा उपबंधित राशि कुल 36,67,000/- (छत्तीस लाख सड़सठ हजार) रुपये को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है ।

अतः वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र के आलोक में तथा वित्त विभागों पर परिपत्र संख्या 2561 वि.(2) दिनांक 17.04.98 एवं 2450 वि.(2) दिनांक 17.04.99 के निर्देशानुसार विषयवर्तित बजट शीर्ष 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001 प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड एन.2515001020001) एवं मांग संख्या- 42 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए उपबंधित राशि (तृतीय अनुपूरक आगणन 2011-12 के मांग संख्या- 42 खंड- 3, भाग- 1 - 10/3/2011) से प्राप्त राशि 36,67,000/- (छत्तीस लाख सड़सठ हजार) रुपये मात्र का आवंटन जिलावार मसूदा तैयारी अनुसार स्वीकृत किया जाता है ।

2) आवंटित राशि का व्यय गैर योजना बजट शीर्ष 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड एन.2515001020001) एवं मांग संख्या- 42 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए तृतीय अनुपूरक आगणन द्वारा 28-01-83/व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं विषय शीर्ष (इकाई) में उपबंधित राशि से विकल्पनीय होगा ।

3) यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 वि.(2) दिनांक 17.04.98 एवं 2450 वि.(2) दिनांक 17.04.99 के आलोक में सिद्ध किया जाता है ।

4) बक्सर एवं मुंगेर जिला के लिए आवंटित राशि का उपयोग विधियों में निर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत राशि का व्यय विधियों के अंतर्गत एक निर्धारित केवल रूप में किया जा सकता है । उक्त पारिश्रमिकी के भुगतान हेतु 2801- व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं विषय शीर्ष (इकाई) के अंतर्गत किया जाय । बक्सर एवं मुंगेर जिला के लिए आवंटित राशि का व्यय केवल संविदा के आधार पर नियोजित सेवा निवृत्त कर्मियों के पारिश्रमिकी के भुगतान हेतु भी 2801- व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं विषय शीर्ष के अंतर्गत ही किया जाय ।

5) कृत्याय अनुपूरक में प्राप्त आवंटित राशि को उपलब्ध नियमानुसार की कार्यवाई कर ली जाय ताकि राशि प्रत्यर्पित नहीं की जा सके ।

6) आवंटित राशि से अधिक या गलत निकासी की सारी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी । आवंटित राशि से किसी अवैध रूप से नियुक्त कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य भत्ते या मजदूरी का भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय ।

7) इस शीर्ष का जिला स्तर पर समेकित व्यय विवरणी, टी.भी.नंबर एवं तिथि सहित प्रत्येक अगले माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना / वित्त विभाग बजट शाखा एवं विभागीय बजट शाखा- 10 को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय ।

8) कृपया अपने स्तर से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का निर्देश दिया जाय । कोषागार में उपस्थापित किये जाने वाले विपत्रों पर विपत्र कोड- एन.-2515001020001 / मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / प्राथमिक इकाई एवं कूट संख्या की मुहर अवश्य लगायी जाय ।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन

(मदन जी पाण्डेय)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 12/2011/30000/ग.वि. पटना, दिनांक:- 22-07-12

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 12/2011/30000/ग.वि. पटना, दिनांक:- 22-07-12

प्रतिलिपि - सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / सभी संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 12/2011/30000/ग.वि. पटना, दिनांक:- 22-07-12

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / संयुक्त सचिव / अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / सभी संबंधित प्रमडलीय आयुक्त / वित्त विभाग (बजट शाखा) / विभागीय बजट शाखा- 10 (10 प्रतियों में) उपलब्ध कराते हुए सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरण - 1

संविदा के आधार पर नियोजित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी एवं सेवा निवृत्त संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु आवंटित राशि

क्र.सं.	जिला का नाम	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (प्रखंडों के लिए अधियाचित राशि)
1	2	3	4
1	नालंदा	167902	एकंगर सराय - 82741 हिलसा - 22742 अस्थावां - 62419
2	भोजपुर	146250	पीरो - 146250
3	जहानाबाद	222500	जहानाबाद - 45000 मखदुमपुर - 40000 घोषी - 92500 काको - 45000
4	नवादा	640402	गोविन्दपुर - 114193 वारसलीगंज - 190645 सिरदला - 86371 अंकबरपुर - 187500 नवादा सदर - 61693
5	सारण	537274	एकमा - 269204 मांझी - 94700 छपरा सदर - 86370 गरखा - 87000
6	पूर्वी चम्पारण	540242	चिरैया - 232500 महेषी - 255242 मोतिहारी - 52500
7	पश्चिम चम्पारण	246198	
8	बक्सर	1028062	हुमरांव - 174420 सिमरी - 238906 राजपुर - 202616 नावानगर - 238906 बक्सर - 130524 ब्रह्मपुर - 42690
9	मुंगेर	138170	हतेली खडगपुर 138170
कुल योग		3667000	(छत्तीस लाख सड़सठ हजार) रुपये

(मदन जी पाण्डेय)

सरकार के संयुक्त सचिव